

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 116/2025

उनवान

2. भवराराम पुत्र मूलाराम जाति
प्रजापत निवासी भाचभर
तहसील रामसर।

बनाम

2. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 21.03.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री भवराराम पुत्र मूलाराम जाति प्रजापत निवासी भाचभर तहसील रामसर का स्वयं के नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 221 खसरा नंबर 236 रकबा 6.8392 हेक्टैयर मौजा भाचभर की ढाणी पटवार मण्डल भाचभर में आया हुआ है। जिसमें सयुंक्त खातेदारी में प्राथी का नाम श्री भवराराम पुत्र मूलाराम जाति प्रजापत निवासी भाचभर तहसील रामसर की जगह बाबु पुत्र मुला जाति प्रजापत भूलवंश संवहन से दर्ज हों गया। प्रार्थी का नाम 'राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय बाबु पुत्र मुला जाति प्रजापत दर्ज हो गया। अतः राजस्व रेकर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम श्री भवराराम पुत्र मूलाराम जाति प्रजापत निवासी भाचभर तहसील रामसर करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 221 खसरा नंबर 236 रकबा 6.8392 हेक्टैयर मौजा भाचभर की ढाणी पटवार मण्डल भाचभर के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम श्री भवराराम पुत्र मूलाराम जाति प्रजापत निवासी भाचभर तहसील रामसर। नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।



यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षरों और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

क्रमांक : सीडर/2025/ 469-70

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।

2. प्रार्थी भवराराम पुत्र मूलाराम।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 09.04.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर